केन्द्रीय सूचना आयोग बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं.

CIC/AA/A/2018/207

संदर्भ संचिका सं.

CICOM/A/2018/00178

CICOM/R/2018/00669

अपीलकर्ता

श्री चौरू लाल कुम्हार,

रामपुरा बस्ती, गली नं. 2,

लालगढ़, बीकानेर – 334004.

मो० - ७०६२२९०९०१.

निर्णय की तारीख:

10.08.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	23.06.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	09.07.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. के. महापात्र
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	27.07.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	376/03.08.2018 (976/02.08.2018)

- अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 23.06.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दो बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री टी.के. महापात्र, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।
- संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त संदर्भित आर.टी.आई. आयेदन के बिंदु सं. 1 के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/POSTS/A/2018/110188 की सत्यापित फोटो प्रति एवं विंदु सं 2 के माध्यम से अंग्रेजी भाषा में सुनवाई नोटिस जारी किए जाने से संबंधित सूचना मांगी गई थी । बिंदु सं. 1 के माध्यम से मांगी गई सूचना के संदर्भ में मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश सं. W.P.No.26781 of 2013 में के पैरा सं. 24 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "Insofar as query (iv) is concerned, we fail to understand as to how the second respondent is entitled to justify his claim for seeking the copies of his own complaints and appeals. It is needless to say that they are not the information available within the knowledge of the petitioner; on the other hand, admittedly, they are the documents of the second respondent himself, and therefore, if he does not have copies of the same, he has to blame himself and he cannot seek those details as a matter of right, thinking that the High Court will preserve his frivolous applications as treasures/valuable assets. Further, those documents cannot be brought under the definition "information" as defined under Section 2 (f) of the RTI Act. Therefore, we reject the contention of the second respondent in this aspect" तथा बिंदु सं 2 के माध्यम से मांगी गई सूचना भी सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2 (च) में परिभाषित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है । उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए श्री टी. के. महापात्र, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।
- तद्रसार अपील निस्तारित की जाती है।
- प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में

की जा सकती है।

C. I. C. ∕के॰ सू॰ आ॰ RECEIVED

(आर. के. सिंह अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी दूरभाष - 011-26162290

दिनांक: 10.08.2018

ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।